View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

brought to you by CORE

provided by Research Papers in Economics

विदेशी व्यापार चिन्हों की राह सुलभ करता हुआ भारत का नया व्यापार चिन्ह कानून

सार

व्यापार एवं दरसूची (गैट) पर सामान्य अनुबंध की आवश्यकताओं का अनुसरण करते हुए भारत ने 1958 के व्यापार एवं वाणिज्य वस्तु चिन्ह अधिनियम को बदल कर व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 को अधिनियमित किया । नया कानून सिर्फ सितंबर 2003 से प्रभावशील हुआ है । 1958 के अधिनियम ने भारत के भारतीय उद्योगों के संकल्प व उनकी प्रोन्नति के लिए पृथक अर्थव्यवस्था के निर्माण को प्रमुखता देनें के संदर्भ में विदेशी व्यापार चिन्हों को हतोत्साहित किया । नए अधिनियम नें संपूर्ण परिदृश्य को परिवर्तित किया है एवं विदेशी व्यापार चिन्हों को विशेष संरक्षण प्रदान किया है । यह लेख उन परिवर्तनों की समीक्षा करता है जो कि विदेशी व्यापार चिन्हों के अधिकारों की मजबूती के लिए लाए गए हैं । किसी भी व्यापार चिन्ह को तब तक पंजीकृत नहीं किया जा सकता था जब तक भारतीय बाजार में इसकी वस्तुओं पर यह अंकित न हो । आयात प्रतिबंधों के कारण विदेशी फर्मों की वस्तुएँ भारतीय बाजार में नहीं आ सकती थीं । अत: इनके चिन्हों को पंजीकृत नहीं किया जा सका । नए अधिनियम नें जाने मानें व्यापार चिन्हों के लिए इस बाधा को दूर कर दिया है । दुनिया के किसी भी भाग में प्रसिद्ध व्यापार चिन्हों को अब वस्तुओं के भारतीय बाजार में न होनें पर भी पंजीकृत कराया जा सकता है । इसके अतिरिक्त यदि कोई भारतीय चिन्ह, किसी प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह की उत्कृष्टता की तुलना में किसी भी मायनें में कम पाया जाता है तो इसका पंजीकरण नहीं किया जा सकता । यदि किसी पंजीकृत व्यापार चिन्ह का पाँच वर्ष से प्रयोग नहीं हो रहा है, तो वह पंजिका से हटाया जा सकता है । यह प्रावधान विदेशी व्यापार चिन्हों के पक्ष में लाया गया है । सिर्फ केंद्रीय शासन घरेलू उद्योगों के हितों पर विचार करते हुए एवं व्यापार चिन्हों के द्वारा अवैध व्यापार को रोकने के लिए विदेशी व्यापार चिन्हों को लाइसेंस जारी कर सकती है । नए अधिनियम नें इन बाधाओं को दूर कर दिया है ।

अखिलेश्वर पाठक

☛ **नोट : इस वर्किंग पेपर में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का हिन्दी अनुवाद दिया गया है ।**

विदेशी व्यापार चिन्हों की राह सुलभ करता हुआ

भारत का नया व्यापार चिन्ह कानून

एक भारतीय कंपनी ने स्वयं को तोशीबा उपयंत्र कंपनी के तौर तरीकों में ढ़ाला व अपनें विद्युत उपयंत्रों के लिए व्यापारिक नाम तोशीबा का प्रयोग प्रारंभ किया । जापान के तोशीबा निगम नें इस दुर्विनियोजन पर आपत्ति की । तोशीबा निगम कुछ अन्य विदेशी निगमों की तरह भारत में जारी आयात प्रतिबंधों के संदर्भ में 1990 तक अपनी वस्तुओं को भारतीय बाजार में नहीं ला सका । कोलकाता उच्च न्यायालयने 1993 में भारत के व्यापार चिन्ह कानून के संदर्भ में भारतीय कंपनी के पक्ष में निर्णय सुनाया ।

यदि कोई भी वस्तुएँ वास्तविक रूप में विद्यमान नहीं है तो उनके संबंध में चिन्ह का कोई उपयोग नहीं हो सकता । यह वैसा ही है यदि वस्तुएँ भारतीय बाजार के अतिरिक्त कहीं और उपलब्ध हैं । क्योंकि एक व्यापारी का विदेशी बाजार कितना ही बड़ा हो व उसका व्यापारिक चिन्ह समूचे विश्व में कितना ही प्रसिद्ध हो, किंतु हमारे व्यापार व वाणिज्यिक वस्तु अधिनियम 1958 के अनुसार वस्तुओं के उपयोग के संबंध में चिन्ह के उपयोग के लिए गुणता प्राप्त करने के लिए ऐसा उपयोग भारत में होना चाहिए न कि विदेश में ।

इस संबंध में तर्क दिया गया था कि विज्ञापन के द्वारा चिन्ह को परिचालित करना भी व्यापार चिन्ह का उपयोग है । अदालत उपर्युक्त तर्क से सहमत नहीं हुई ।

विज्ञापन में या अन्य प्रकाशन माध्यम में मात्र चिन्ह का उपयोग, 'उपयोग' कहनें के लिए अपर्याप्त है। इसे आसानी से समझा जा सकता है क्योंकि यदि ऐसा न हो तो व्यापार चिन्हों के द्वारा अवैध व्यापार कानूनी रूप से प्रवेश कर सकता है क्योंकि एक चिन्ह को पंजीकृत कराया जा सकता है व बाजार में बिना किसी वस्तु को उतारे सिर्फ विज्ञापन के द्वारा उस चिन्ह की पहचान बनाई रखी जा सकती है । घरेलू पक्षकारों के द्वारा प्रतिष्ठित व्यापारिक नामों के ऐसे विनियोजनों का वर्णन 'अनिरोध्य जोखिम' के रूप में करहते हुए उच्च न्यायालय नें टिप्पणी की :

व्यापार चिन्ह कानून अंतर्राष्ट्रीय संधि न होकर राष्ट्रीय संहिता है यदि कोई देश अपनें यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकता है तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नाम ही प्रतिबंधित बाजार में पंजीकृत व परिरक्षित नहीं किए जा सकते । इसका अर्थ अंतर्राष्ट्रीय नामों को बिना वस्तुओं के बाजार पर एकाधिकार देना होगा या अंतर्राष्ट्रीय चिन्हों को स्वत्वाधिकार देनें में होगा व ये दोनों अनुमति व व्यापार चिन्ह कानून के प्रथम सिद्धांत के विरुद्ध हैं ।

जिस समय कोलकाता उच्च न्यायालय अपना निर्णय सुना रहा था, उसी समय एक पूर्ण विपरीत योजना की शुरुआत व्यापार एवं दर सूची (गैट) (जिसका भारत एक सदस्य था) पर सामान्य अनुबंध के द्वारा हो चुकी थी । तोशिबा प्रकरण में स्थिति भारत की स्थानीय उद्योग की प्रोन्नति पर आधारित बंद आर्थिक प्रणाली के निर्माण के प्रयासों को दर्शाती है । गैट की आवश्यकता के अनुसार भारत को विदेशी व्यापार चिन्हों को मजबूत संरक्षण प्रदान करने के लिए विधान बनाना था। गैट की इस अपेक्षा की पूर्ति के लिए व्यापार चिन्ह बिल संसद में भी प्रस्तुत किया गया था । यह बिल संसद भंग होने के कारण पास नहीं किया जा सका । आखिरकार 1999 में इसे अधिनियमित किया गया एवं यह सितंबर 2003 से लागू हुआ है ।

यह लेख नए कानून के द्वारा विदेशी व्यापार चिन्हों को प्रदान संरक्षण से आए परिवर्तनों की समीक्षा करता है। नया कानून उदारवादी भूमंडलीय अर्थव्यवस्था की ओर भारत को ले जाने का एक अन्य साधन है । परिवर्तनों की प्रकृति की समझ, अनुसंधान, व्यावसायिक पद्धतियों व लोकनीति के लिए महत्वपूर्ण होगी । हम सर्व प्रथम व्यापार चिन्ह कानून के विकास एवं कार्यशैली का संक्षिप्त वर्णन करेंगे ।

व्यापार चिन्ह अधिनियम एवं व्यापार चिन्ह का छलपूर्वक उपयोग

व्यापार चिन्ह कानून का विकास इंग्लैंड के सामान्य कानून के अंतर्गत हुआ है । इसकी शुरुआत मध्यकाल में हुई जब व्यापारी अपने मामले अदालतों में ले जाने लगे, अदालतों ने मामलों का निपटारा किया व कानून बनाया । अदालतों में अतिशीघ्र मान्य किया कि किसी भी व्यक्ति को अपनी वस्तुओं को किसी अन्य की वस्तुओं के रूप में प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है । अदालतों की यह मान्यता छलपूर्वक उपयोग पर कार्रवाई की शुरुआत मानी गई । छलपूर्वक उपयोग के एक प्रकरण में विशेष सफलता तब मिली जब एक व्यापारी ने एक समरूपी या छलपूर्वक पूर्व से चले आ रहे व्यापार चिन्ह के समान व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया । जिस व्यक्ति ने व्यापार चिन्ह का प्रयोग पूर्व में प्रारंभ किया था, उसे चिन्ह का प्रयोग करने के लिए मान्य किया गया था । जैसे 2 अधिक से अधिक मामले अदालतों में आने लगे, अदालतों ने व्यापार चिन्ह को अपने आप में संपत्ति के अधिकार के रूप में रखने का विचार किया । व्यापार चिन्ह उल्लंघन प्रकरण में व्यक्ति को सिद्ध करना होता था कि पूर्व में प्रयोग करने के कारण व्यापार चिन्ह पर उसका अधिकार है इसके अतिरिक्त उसे व्यापार चिन्ह के प्रयोग को प्रदर्शित करना होता था व्यापार को सरल बनाने के लिए इंग्लैंड नें 1875 में व्यापार चिन्ह अधिनियम को अधिनियमित किया । अधिनियम ने व्यापार चिन्हों का पंजीकरण प्रारंभ किया । व्यापार चिन्ह उल्लंघन की स्थिति में सभी अदालती कार्यों में पंजीकरण स्वामित्व का सबूत बना । इसने मुकदमेंबाजी के खर्चों को काफी सीमा तक कम किया । व्यापारी अपने चिन्ह को तभी पंजीकृत करवा सकता था जब यह निश्चित मानदंड के अनुकूल होता था । 1875 के व्यापार चिन्ह अधिनियम को निरस्त किया गया था व इसे

1833 के एकस्व, रूपांकन व व्यापार चिन्ह अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था । यह अधिनियम 1905 के व्यापार चिन्ह अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था । अगला पुर्नअधिनियम 1938 का व्यापार चिन्ह अधिनियम था । इस तरह व्यापार चिन्हों के पंजीकरण व उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण पर कानून का विकास सांविधिक अधिनियमनों के द्वारा हुआ । इसी के समान सभी गैर पंजीकृत व्यापार चिन्ह व सद्भावना के विनियोजन के अन्य प्रकरणों में छलपूर्वक उपयोग के विरुद्ध सामान्य कानून के द्वारा राहत प्राप्त की जा सकती थी ।

भारत ने 1938 के ब्रिटिश व्यापार चिन्ह अधिनियम को अपनाया व व्यापार चिन्ह पर अपना प्रथम अधिनियम 1940 का व्यापार चिन्ह अधिनियम बनाया । स्वतंत्र भारत में 1958 के व्यापार एवं वाणिज्य वस्तु अधिनियम ने 1940 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया । यह अधिनियम सितंबर 2003 तक प्रचालन में रहा । प्रवर्ती कानून अब व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 है । इसके साथ ही भारतीय अदालतों ने छलपूर्वक उपयोग को ध्यान में रखते हुए समाधान विधि का विकास जारी रखा ।

व्यापार एवं वाणिज्य वस्तु चिन्ह अधिनियम 1958 ने व्यापार चिन्ह के पंजीकरण के लिए प्रावधान बनाए, व्यापारी, व्यापार चिन्ह के पंजीकार के पास अपने चिन्ह को पंजीकृत करा सकता था । पंजीकरण का कार्य विनिर्दिष्ट वर्ग में आने वाली वस्तुओं के संबंध में किया जाता था । अधिनियम एवं नियमों ने वस्तुओं को 34 वर्गों की श्रेणियों में विभाजित किया । व्यापार चिन्ह का स्वामी वर्ग एवं वस्तुओं के संबंध में पंजीकृत व्यापार चिन्ह का अप्राधिकृत प्रयोग रोक सकता था ।

व्यापार एवं वाणिज्य वस्तु अधिनियम 1958 के निर्माण में शावक्ष एवं अयंगर समितियों की रिपोर्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी । स्वतंत्र भारत में अन्य विधायी सुधारों की तरह अधिनियम को विकासशील स्थानीय उद्योगों को विदेशी फर्मों की प्रतिस्पर्धा से पृथक करने के दृष्टिकोण से बनाया गया था । अधिनियम के प्रावधान अपने आपमें इंग्लैंड में चल रहे व्यापार चिन्ह अधिनियम से बहुत अलग नहीं थे । इंग्लैंड के उपर्युक्त अधिनियम पर भारत का पूर्ववर्ती अधिनियम आधारित था । किंतु संयुक्त उद्यमों पर प्रतिबंध व वस्तुओं के आयात के संदर्भ में अधिनियम के प्रावधान विदेशी व्यापार चिन्हों की तुलना में अपने संरक्षण के लाभ में कम थे । हम देखेंगे कि किस तरह भिन्न प्रावधानों से यह परिणाम निर्मित हुआ ।

विदेशी व्यापार चिन्हों का पंजीकरण

एक व्यापार चिन्ह को पंजीकृत होने की गुणत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंडो के अनुकूल होना होता था । कानून ने व्यापार चिन्ह में मजबूत एकत्व अधिकार व इसके स्वामी द्वारा अपने चिन्ह के अनन्य उपयोग को पहचाना । इसी समय कानून का सरोकार यह था कि इस अधिकार की मान्यता

दूसरों के अहित पर नहीं होनी चाहिए । इसके लिए कानून ने अनुबंध किया कि वस्तु या इसके गुणों का वर्णन कर रहे शब्दों को पंजीकृत नहीं किया जाएगा । ऐसे चिन्हों के पंजीकरण का अर्थ यह निकलना कि प्रतिद्वंदी व्यापारी अपनी वस्तुओं के गुणों का वर्णन करने के लिए उन विशेषणों का प्रयोग करनें में असमर्थ हो जाता । इसका अर्थ एक व्यक्ति के द्वारा अनन्य उपयोग के लिए भाषा के कुछ विशेषणों को उपयुक्त रूप में प्रस्तुत करने से होता। इसी तरह उपनामों, विभिन्न स्थानों के नाम एवं भौगोलिक नामों को सामान्य तौर पर पंजीकृत नहीं किया जाएगा ।

हालाँकि उपर्युक्त के विरुद्ध प्रतिदावे थे । ऐतिहासिक रूप से व्यवसायों ने स्वयं को स्वामी के पारिवारिक नाम, निर्माण स्थल या उत्पादन की वस्तु से ही संबंद्ध कर लिया था । व्यापारी अपने व्यवसायों में अधिक समय व्यतीत कर चुके हो सकते थे । उन्हें कोई संरक्षण न देना उनके साथ न्यायोचित नहीं होता । प्रतिद्वंदी दावों को 'विशिष्टता' की संकल्पना का विकास कर संतुलित किया गया । कानून ने वर्णात्मक शब्दों, उपनामों व भौगोलिक स्थलों के नामों पर अधिकार तभी माना जब व्यापारी यह प्रदर्शित कर सके कि उनका उपयोग इतना व्यापक था कि वे व्यापारी की वस्तु के लिए विशिष्ट हो चुके थे । इसका तात्पर्य यह है कि क्रेताओं के मस्तिष्क में शब्द का प्रारंभिक अर्थ लुप्त हो चुका हो एवं यह व्यापारी की वस्तु के लिए विशिष्ट हो चुका हो । आवेदक को यह स्थापित करनें की आवश्यकता होती कि उपभोक्ता के साथ व्यापारी का चिन्ह विशिष्ट हो चुका है ।

व्यापार चिन्ह सिर्फ व्यापार की प्रक्रिया व व्यापार चिन्ह के प्रयोग से विशिष्ट हो सकता था । चूँकि आयात पर प्रतिबंधों के कारण विदेशी वस्तुएँ भारत नहीं लाई जा सकती थी अत: न तो व्यापार का चलन था न ही व्यापार चिन्ह के प्रयोग का । इस प्रकार कोई भी व्यापार चिन्ह चाहे वह उपनाम या प्रशंसात्मक शब्द हो व विदेश में कितना ही प्रसिद्ध हो, भारत में पंजीकृत नहीं किया जा सकता । कुछ संपूर्ण विश्व में फैले प्रसिद्ध नाम जैसे सीअर्स, लॉडर, हाँडा, सुजुकी व एडीडास उपनाम थे ।

व्यापार चिन्ह में अवैध व्यापार

भारत में व्यवसाय करने से प्रतिबंधित विदेशी फर्में, भारतीय फर्मों को संविदा पर अपने व्यापार चिन्हों के उपयोग का अधिकार दे सकती थीं । व्यापार चिन्ह कानून ने किंतु अपने प्रारंभ से ही व्यापार चिन्हों में अवैध व्यापार को मूलभूत दोष के रूप में पाया है । हम समझेंगे कि यह क्यों एक दोष रहा है । व्यापार चिन्ह कानून के विकास की प्रक्रिया में यह पाया गया कि व्यापार चिन्ह उद्‌भव का प्रतीक है व यदि आप स्वयं उद्‌भव के बिना उद्‌भव के प्रतीक को स्थानांतरित करते हैं तो यदि वास्तव में कोई अधिकार है तो आप अधिकार को स्थानांतरित कर आम जनता के साथ छल करते हैं ।

व्यापार चिन्ह को व्यवसाय के उद्‌गम व व्यवसाय की सद्‌भावना के अलग नहीं किया जा सकता । इस प्रकार व्यापार चिन्ह को वस्तुओं के कारखानें के बिना अपने आप में नियत नहीं किया जा सकता । व्यापार चिन्ह में किसी व्यवसाय या सद्‌भावना से संबद्ध हुए बिना लेन-देन करने को अवैध व्यापार के रूप में जाना गया । इसे इंग्लैंड के व्यापार चिन्ह कानून में 1938 तक निषिद्ध कर दिया गया था । किंतु बदलती व्यवसायिक पद्धतियों के साथ सद्‌भावना एवं व्यापार चिन्ह परस्पर व्याप्त हो गए । जैसे कि गोचेन समिति के प्रतिवेदन, 1933 नें टिप्पणी की:

व्यापार की आधुनिक स्थितियों के अंतर्गत व्यवसाय के लिए प्रवृत्ति व्यापार चिन्ह की परिधि में निर्मित होती है एवं वर्तमान व्यावसायिक दृष्टिकोण यह है कि व्यवसाय की सद्‌भावना प्राय: व्यवसाय चिन्ह में अंतर्निहित होती हैं ।

अन्य शब्दों में व्यापार चिन्ह स्वयं में सद्‌भावना एवं उत्पत्ति की आशुलिपि बन चुका था । व्यापार चिन्ह का स्थानांतरण अपने आप में सद्‌भावना के स्थानांतरण का अन्य प्रकार था । इस प्रकार 1938 के इंग्लैंड के व्यापार चिन्ह अधिनियम में उन परिवर्तित परिस्थितियों को पहचाना गया जिन्होंने गोसेन समिति के प्रतिवेदन को प्रभावित किया था । अधिनियम ने व्यापार चिन्ह के अपने आप में स्थानांतरण को कुछ प्रतिबंधों के अधीन संभव बनाया । प्रतिबंध यह था कि स्थानांतरण किसी एक व्यक्ति को चिन्ह के उपयोग के अधिकार से अधिक नहीं होना चाहिए । यह गोसेन प्रतिवेदन के जाँच परिणामों का आवश्यक निष्कर्ष था । यदि व्यापार चिन्ह उद्‌गम का सूचक था तो उद्‌गम एक से अधिक स्थानों पर नहीं हो सकता । इसलिए स्थानांतरण कर रहे व्यक्ति को यह कार्य पूर्ण रूप से व सिर्फ एक व्यक्ति के लिए करना चाहिए । इस प्रतिबंध ने स्थानांतरण की अन्य श्रेणी को प्रारंभ किया जिसे पंजीकृत उपभोक्ता कहा गया । जैसे व्यापार चिन्ह का कार्य व्यापार उद्‌गम का संकेत देना, किसी भी व्यक्ति को चिन्ह के प्रयोग की अनुमति देना व स्वामी से संबद्ध न रहना है । उससे यह आम जनता के साथ छल होगा । किंतु व्यवसायिक पद्धतियों को उन क्षेत्रों में कानूनी मान्यता की आवश्यकता थी जहाँ फर्मों के बीच में तकनीकी जानकारी एवं तकनीक का हस्तांतरण हो रहा था । इस प्रकार जहाँ पंजीकृत व्यापार चिन्ह का लाइसेंस पंजीकार के पास आवेदन जमा कर अन्य व्यक्ति के उपयोग के लिए जारी किया जा सके वहाँ प्रावधान बनाए गए थे । आवेदन पत्र को पक्षकारों के मध्य उपभोक्ता करार के साथ जमा कराना होता था । इसमें स्वामी को पंजीकृत उपभोक्ता के द्वारा चिन्ह के उपयोग पर विशेष रूप से गुणवत्ता के संदर्भ में प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग करना होता था । यदि पंजीकृत उपभोक्ता करार पत्र व्यापार चिन्हों में अवैध व्यापार रोकनें की शर्तों का अनुपालन नहीं करता था तो पंजीकृत उपभोक्ता के रूप में पंजीकरण के लिए किसी भी आवेदन को ग्रहण नहीं किया जाता था । पंजीकार को अधिनियम की इस आवश्यकता के लिए निर्णायक होना होता था । 1938 के इंग्लैंड के अधिनियम में समाविष्ट इन प्रावधानों को 1940 के प्रथम भारतीय व्यापार चिन्ह अधिनियम में ग्रहण किया गया था ।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने अयंगर समिति को नवीन व्यापार चिन्ह अधिनियम के लिए अपनी सिफारिशें देने के लिए नियुक्त किया । प्रतिवेदन में टिप्पणी की गई कि व्यापार चिन्हों के विषय में तत्कालीन 2262 पंजीकृत उपभोक्ताओं में 2156 विदेशी स्वामी थे व सिर्फ 106 भारतीय अधिवासी थे, जिनमें भारतीय कंपनियाँ भी शामिल थी । समिति ने स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना अवांछनीय पाया । सिफारिशों का अनुवर्तन करते हुए 1958 के अधिनियम ने व्यापार चिन्हों में अवैध व्यापार का निवारण कर रहे पूर्ववर्ती प्रावधानों के अतिरिक्त स्थानीय उद्योगों के संरक्षण व प्रोत्साहन हेतु उपाय प्रस्तावित किए ।

पंजीकार को पक्षकारों से सभी संगत प्रलेखों को प्राप्त करने के पश्चात पंजीकृत उपभोक्ता के रूप में पंजीकरण करने के लिए आवेदनों को केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करना था । व्यापार चिन्हों में अवैध व्यापार को रोकने के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार को आम जनता व भारत में किसी भी उद्योग, व्यापार या वाणिज्य के हितों पर भी विचार करना था । केन्द्रीय सरकार के निर्णय लेने के पश्चात पंजीकार को आवेदन का केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार निपटान करना पड़ता था ।

केंद्रीय सरकार ने अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी व्यापार चिन्हों को भारत में पंजीकृत उपभोक्ता के अधिकार देने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया । इसके अतिरिक्त 1973 के विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम ने अनुबंध किया कि विदेशी प्रतिष्ठान भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बिना किसी कंपनी या व्यक्ति के द्वारा किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विचार के लिए किसी ऐसे व्यापार चिन्ह के प्रयोग की अनुमति नहीं देंगे, जिसका उपयोग करने का यह हकदार है । रिज़र्व बेंक ने अधिसूचना जारी की थी जिसमें निर्दिष्ट सूचना के अनुसार यह करने के लिए अनुमति सिर्फ उन प्रकरणों में दी जानी थी जहाँ वस्तुएँ अनन्य रूप से भारत के बाहर निर्यात के लिए हैं ।

व्यापार चिन्हों में अवैध व्यापार : अप्रयोक्ता खंड

अवैध व्यापार के अन्य प्रकारों के अंतर्गत चिन्हों को उपयोग किए जाने के किसी उद्देश्य के बिना पंजीकृत कराए जाने थे । कानून ने इसे भी अवैध व्यापार का एक रूप माना । इस संदर्भ में यह निर्धारित किया गया कि वस्तुओं के बाजार में उपलब्ध हुए बिना नाम का पंजीकरण कराना शरारतपूर्ण है । जैसे कि अदालतों ने पूर्व काल में इसका वर्णन किया:

यदि मैं अभिव्यक्त कर सकता तो व्यापार चिन्हों के प्रयोग का कोई भी उद्देश्य हुए बिना या उनका प्रयोग सिर्फ कुछ वस्तुओं के संबंध में होने से कोई भी व्यक्ति व्यापार चिन्हों के पंजीकृत होकर प्रसारण होने से उत्पन्न बुराईयों से बेखबर नहीं रह सकता । इसके कारण हुई असुविधा व इसमें आई लागत बहुत बड़ी होती है एवं इसके बाद कुछ प्रकरणों में इससे हुए पूर्ण उत्पीड़न व व्यापार

चिन्हों के पंजीकृत स्वामियों के रूप में उपनी स्थितियों का अवैध व्यापार के उद्देश्य से एवं ऐसे इच्छुक परवर्ती व्यक्तियों जो सदाशयी व्यापार चिन्हों का उपयोग कुछ वर्गों जिनके संबंध में वे जाली व्यापार चिन्हों को पंजीकृत पाते हैं से धन प्राप्त करनें के लिए करते हैं से में अदूता नहीं रह सकता ।

पंजिका से निष्कासन

पंजीकृत व्यापार चिन्ह का अपेक्षित शुल्क जमा करवा कर नवीनीकरण करवाया जा सकता है । इस प्रकार किसी चिन्ह को पंजिका में दर्ज करवा कर उसे शाश्वतकाल तक जीवित रखा जा सकता है । किंतु व्यापार चिन्ह कानून में गैर उपयोग कर्ता के आधार पर चिन्ह को पंजिका से हटाए जानें के प्रावधान रहे हैं । पंजीकृत व्यापार चिन्ह को पंजिका से हटाया जा सकता था इसके लिए निम्नलिखित दो में से किसी एक आधार का प्रयोग करने के लिए किसी व्यथित व्यक्ति को पंजीकार को या उच्च न्यायालय को आवेदन देना होता था ।

(अ) कि आवेदक ने बिना किसी वास्तविक उद्देश्य से व्यापार चिन्ह का पंजीकरण करवाया था एवं पंजीकरण के लिए इसका प्रयोग उन वस्तुओं के संबंध में आवेदक के द्वारा होना चाहिए .... या

(ब) पाँच वर्ष या इससे अधिक की निरंतर अवधि व्यतीत हो चुकी थी, जिस दौरान पंजीकरण करवाया गया था एवं इस बीच उन वस्तुओं के संबंध में उनका कोई भी वास्तविक प्रयोग नहीं किया गया था ।

हम पता करें कि कैसे उन प्रावधानों ने विदेशी व्यापार नामों के संबंध में कार्य किया है ।

रेनाल्डस 'नाऊ' सिगरेट केस

रेनाल्डस एक अमरीकी तंबाकू कंपनी ती जिसके व्यापारिक चिन्ह 'नाऊ' का पंजीकरण भारत के अतिरिक्त लगभग 80 देशों में था । इसने भारत में अपने चिन्ह का पंजीकरण जुलाई 1975 में करवाया किंतु यह भारत में सिगरेटों का आयात नहीं कर सकी । भारत में सिगरेटों के आयात पर लगभग 1957 से प्रतिबंध लगा था । यह सिगरेट संसार के अनेक देशों में बेची जाती थी । भारतीय तंबाकू कंपनी (आई.टी.सी.) ने सिगरेट के ब्रांड 'नाऊ' का प्रारंभ किया व पंजीकरण के लिए आवेदन किया । इसे पंजीकृत करनें से इंकार कर दिया गया क्योंकि चिन्ह पहले से रेनाल्डस के साथ पंजीकृत था । आई.टी.सी. ने पंजिका से नाऊ को हटाने के लिए आवेदन किया । इस संबंध में आई.टी.सी. का दावा यह था कि पंजीकरण वस्तुओं के संबंध में चिन्ह के उपयोग किए जाने के

उद्देश्य के बिना था । रेनाल्डस कंपनी ने तर्क दिया कि पंजीकरण कराते समय चिन्ह के उपयोग का वास्तविक उद्देश्य था । उद्देश्य यह था कि जैसे और जब भारत सरकार अपनी नीति को शिथिल करती है तभी से सिगरेट का आयात प्रारंभ किया जा सकें । दिल्ली उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के एक पूर्ववर्ती निर्णय पर विश्वास जताया । पंजीकरण के लिए मांगे गए व्यापार चिन्ह के प्रयोग का उद्देश्य प्रामाणिक और वास्तविक होना चाहिए । इस तथ्य से कि चिन्ह के विषय में यह सोचा गया था कि किसी दिन यह उपयोगी हो सकता है, पंजीकरण के समय इसके उपयोग से संबंधित किसी निश्चित व यथार्थ उद्देश्य का अर्थ नहीं निकलता । चिन्ह के उपयोग का उद्देश्य पंजीकरण के लिए आवेदन की तिथि में विद्यमान होना चाहिए व ऐसा उद्देश्य प्रामाणिक व सद्भावना पर आधारित होना चाहिए । (अदालत ने इस प्रकार आई.टी.सी. के पक्ष में निर्णय सुनाया । प्रकरण महत्वपूर्ण था क्योंकि सरकार द्वारा अधिरोपित किए गए प्रतिबंधों को पंजीकरण के समय बाजार में वस्तुएँ उतारनें के उद्देश्य में असमर्थ होने के रूप में नहीं लिया जा सकता ।)

हार्डी ट्रेडिंग लिमिटेड प्रकरण

आस्ट्रेलिया की कंपनी हार्डी ट्रेडिंग लिमिटेड पेंट के व्यापार चिन्ह स्पार्टन की पंजीकृत स्वामी थी । दिसंबर 1976 में एडीसन पेंट्स एवं कैमिकल्स ने चिन्ह स्पार्टन का पंजीकरण अपने नाम पर करने के लिए आवेदन किया । आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि स्पार्टन चिन्ह हार्डी ट्रेडिंग लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत था ।

(एडीसन पेंट्स एवं कैमिकल्स लिमिटेड ने स्पार्टन चिन्ह को व्यापार चिन्ह पंजिका से हटाए जाने के लिए आवेदन किया क्योंकि चिन्ह का भारत में 5 वर्ष से अधिक समय से उपयोग नहीं किया गया था । तथापि धारा 43(3) के तहत यदि व्यापार में विशेष परिस्थितियों के कारण व वस्तुओं के संबंध में चिन्ह को त्यागने या उपयोग न करने के उद्देश्य के बिना चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है तो परिशोधन प्रदान नहीं किया जाएगा । हार्डी लिमिटेड ने तर्क दिया कि उत्पादों का आयात नहीं किया जा सकता क्योंकि आयात प्रतिबंधों ने इसे आर्थिक रूप से अव्यवहार्य बना दिया था । अदालत ने इस तर्क को व्यापार में विशेष परिस्थितियों के रूप में स्वीकार नहीं किया व चिन्ह को अदालत के निर्णय के अनुसार पंजिका से हटाया जा सकता था ।

यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था क्योंकि इस निर्णय से इस अनुबंध को वैधता मिली कि वस्तुओं के आयात में सरकार द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों को पंजिका से नाम न हटाए जाने के लिए आधार के रूप में नहीं माना जा सकता ।)

इस तरह प्रारंभिक कानून के अंतर्गत एक ओर जहाँ विदेशी व्यापार चिन्हों का पंजीकरण कठिन था वहीं दूसरी ओर पंजिका में दर्ज विदेशी चिन्हों को भी उपयोग न किए जाने के आधार पर पंजिका से

हटा दिया गया था । सितंबर 2003 से प्रभावशील व्यापार चिन्ह कानून 1999 ने ऐसे सभी प्रावधानों को परिवर्तित कर दिया है ।

नवीन व्यापार चिन्ह अधिनियम

1999 के व्यापार चिन्ह अधिनियम को व्यापार एवं दरसूची (गैट) पर सामान्य अनुबंध को प्रभावशील बनाने व 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन के निर्माण को दृष्टि में रखकर अधिनियमित किया गया है । नए कानून में ऐसी अनेक विशेषताएँ हैं जो कि व्यवसायिक पद्धतियों में विकास कार्यों व परिवर्तनों का जायजा लेती हैं । इसके अंतर्गत सेवा चिन्हों का समावेश, मान्यता के काल को 7 से 10 वर्षों तक बढ़ाना व व्यापार चिन्ह उल्लंघन के कार्यक्षेत्र को विस्तार देना आदि आते हैं । तथापि अधिनियम में विदेशी व्यापार चिन्हों को संरक्षण देने के महत्वपूर्ण व्युत्क्रम हैं । यह निम्नलिखित परिवर्तनों को लाकर किया गया है ।

पंजीकरण के लिए आवश्यकताएँ

व्यापार चिन्ह कानून के अंतर्गत उपनामों, व्यक्तिवाचक नामों एवं वस्तुओं या इसके गुणों का वर्णन कर रहे शब्दों को तभी पंजीकृत किया जा सकता है जब प्रयोग के आधार पर व्यापारी का चिन्ह विशिष्ट हो चुका है । नए अधिनियम ने इस आवश्यकता का अधिक विस्तार से वर्णन किया है । यह निम्नलिखित का अनुबंध पंजीकरण से इंकार के लिए निश्चित आधार के रूप में करता है ।

1. ऐसे व्यापार चिन्ह जो किसी विशिष्ट गुण से रहित हैं । इसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक नाम और उपनाम आते हैं ।
2. ऐसे व्यापार चिन्ह जो दया, गुण, विचारपूर्ण उद्देश्य, मूल्यों, भौगोलिक उद्‌गम या निर्माण समय को अभिहित करते हैं ।

उपर्युक्त चिन्हों को नए कानून में पूर्ववर्ती कानूनों की तरह तभी पंजीकृत किया जा सकता है जब चिन्ह ने विशिष्ट गुण प्राप्त कर लिया हो । यह सिर्फ भारतीय बाजार में वस्तुओं के संबंध में चिन्ह के उपयोग से हो सकता है ।

किंतु नए अधिनियम ने 'प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह' की संकल्पना को प्रस्तुत किया है । अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह को उपर्युक्त सभी आवश्यकताओं की उपेक्षा करके पंजीकृत किया जा सकता है । भारतीय अदालतों ने यह मत बना लिया था कि व्यापार के संबंध में व्यापार चिन्ह का प्रयोग सिर्फ वस्तुओं पर लागू हो सकता है एवं सिर्फ व्यापार चिन्ह का विज्ञापन व्यापार के संबंध में 'प्रयोग' नहीं हो सकता । दूसरे शब्दों में बाजार में वस्तुओं के हुए बिना सिर्फ

विज्ञापन करने से व्यापार चिन्ह विशिष्ट गुण प्राप्त नहीं कर सकता । किंतु नए कानून में भारतीय बाजार में वस्तुओं के न होने पर भी कोई चिन्ह 'प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह' हो सकता है । व्यापार चिन्ह के द्वारा घनिष्ठता किसी व्यापार चिन्ह के प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह के रूप में स्थापित होने के लिए पर्याप्त है । इसके अतिरिक्त किसी चिन्ह को प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह की गुणता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि विशाल संख्या में लोग उसे जाने । इसे जनसंख्या के सिर्फ उस भाग के द्वारा परिचित होने की आवश्यकता है जो उन वस्तुओं को खरीदती/उपयोग करती है । प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह की संकल्पना ने विदेशी व्यापार नामों को अत्यंत व्यापक व अशर्त संरक्षण प्रदान किया है ।

एक ओर जहाँ वस्तुओं के भारतीय बाजार में न होने पर भी प्रसिद्ध विदेशी व्यापार चिन्ह के पंजीकरण को आसान बनाया गया है वहीं प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह की कसौटी पर खरा न उतरनें वाले व्यापार चिन्ह के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है । नए कानून में यदि कोई व्यापार चिन्ह अनुचित लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है या प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह के हितों के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो इसका भारत में पंजीकरण नहीं किया जा सकता । पंजीकरण की यह मनाही प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह के पंजीकृत न होने पर भी लागू होगी । 'अनुचित लाभ' अत्यंत बृहत् संकल्पना है । इसके अंतर्गत ऐसे प्रकरण आते हैं जिनमें क्रेताओं के मस्तिष्क में वस्तुओं के प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह के साथ संबद्ध होने के भ्रम के पैदा होने की संभावना रहती है । प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह के ऐसे किसी भी प्रयोग को "व्यापार चिन्ह के लिए हानिकारक" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि अनुचित लाभ नहीं है ।

व्यापार चिन्ह के लिए 'हानिकारक' की संकल्पना, अमरीकी कानून में व्यापार चिन्ह के 'अनुपात ह्रास' से ली गई है । अनुपात ह्रास की संकल्पना, सामान्य उत्पत्ति के संकेत से या प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह के नाम के साथ संबंध से विस्तृत एवं भिन्न है । अब हम ऐसे परिकल्पनापूर्ण प्रकरण की चर्चा करें जिसमें व्यापारी व्यापार चिन्ह अमूल के अंतर्गत कीटनाशकों का उत्पादन एवं विक्रय कार्य प्रारंभ करता है । व्यापारी के इस कार्य से क्रेता वर्ग भ्रमित नहीं होगा कि डेरी उत्पादों के विनिर्माताओं ने कीटनाशकों का उत्पादन प्रारंभ किया है । इस तरह यह अनुचित लाभ उठानें का प्रकरण नहीं है । लेकिन खाद्य वस्तुओं का कीटनाशकों के साथ संबंध व्यापार चिन्ह अमूल के मूल्य के विरुद्ध है व इस प्रकार यह इसके लिए हानिकारक है । हानिकारक की संकल्पना अत्यंत विस्तृत है व इस तरह प्रसिद्ध व्यापारिक नामों को अपने व्यापारिक चिन्हों के ऐसे उपयोग के विरुद्ध आवेदन करने के पर्याप्त अवसर हैं ।

अप्रयोक्ता के लिए परिशोधन

जैसा कि हमें प्रारंभ में ज्ञात हुआ था कि अप्रयोक्ता के आधार पर व्यापार चिन्ह को पंजिका से हटाया जा सकता था । इस संबंध में अदालतों ने निर्णय दिया था कि आयात पर सरकार द्वारा लागू प्रतिबंधों को पंजिका से हटाए जानें से छूट के लिए विशेष परिस्थितियाँ नहीं जा सकता । नए कानून ने उपर्युक्त निर्णय को प्रत्यावर्तित कर दिया है । इस संबंध में नए कानून के प्रावधानों का आधार यह है कि भारत में किसी कानून या विनियम के द्वारा अधिरोपित व्यापारिक चिन्ह के उपयोग पर प्रतिबंध विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत आते हैं । इस तरह सरकार द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों के बावजूद विदेशी व्यापार चिन्हों को पंजिका से अप्रयोक्ता के आधार पर नहीं हटाया जा सकता ।

नए कानून में पंजीकृत उपभोक्ताओं के प्रावधानों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं । आरंभिक कानून में केंद्रीय सरकार ही पंजीकृत उपभोक्ता के प्रत्येक आवेदन पर निर्णय लेती थी । केंद्रीय सरकार को व्यापार चिन्हों में अवैध व्यापार को रोकने के अतिरिक्त आम जनता के हितों व भारत में किसी उद्योग, व्यापार या वाणिज्य के विकास को भी ध्यान में रखना होता था । नए कानून में इन सभी आवश्यकताओं को हटा दिया गया है । वस्तुत: नए कानून के प्रावधानों में व्यापार चिन्हों में अवैध व्यापार को रोकने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है । अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विदेशी फर्में अपने व्यापार चिन्हों का लाइसेंस अपनी संबंध शाखाओं व अपने सहायकों को जारी करने के लिए स्वतंत्र रहेगी ।

निष्कर्ष

नया अधिनियम अभी हाल ही में सितंबर 2003 से लागू हुआ है । आने वाले सालों में इस कानून का व्यावहारिक जीवन में प्रयोग देखना उत्सुकतापूर्ण होगा । नए अधिनियम के चार पहलू हैं । प्रथम पहलू 100 वर्ष पूर्व सामान्य कानून से बने व्यापार चिन्ह संरक्षण के सिद्धांतों को दोहराता है । द्वितीय पहलू व्यापार चिन्ह उल्लंघन के क्षेत्र में छलपूर्वक उपयोग के अधिक से अधिक पक्षों को समाहित किए हुए हैं । तृतीय पहलू, सेवा चिन्हों, समूह चिन्हों व व्यापार चिन्हों के विस्तृत वर्णन जैसी उद्‌गामी व्यावसायिक प्रणालियों का जायजा ले रहा है । उपर्युक्त प्रावधान व्यवसायों के विकास के लिए उत्सुकता के क्षेत्र हैं क्योंकि इन प्रावधानों से वे फायदा उठा सकते हैं व इन्हें अपने हितों के लिए प्रयोग कर सकते हैं । हालाँकि विदेशी व्यापार चिन्हों को संरक्षण देना 1958 के अधिनियम के विपरीत है व जिसके महत्वपूर्ण प्रभाव आने वाले समय में दिखेंगे ।

ऐसे संकेत मिलते हैं कि विदेशी फर्मों में वस्तुओं एवं सेवाओं के सभी क्षेत्रों में एकाधिकार के लिए रस्साकशी होगी । ये फर्में स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुँचाते हुए व्यापार चिन्हों के अवैध व्यापार में संलग्न होगी । इसके परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग एवं उपभोक्ता के हितों का शोषण होगा ।

इसी के साथ यह तर्क दिया जा सकता है कि नया कानून भारतीय बाजार में भ्रष्ट तौर तरीकों को समाप्त कर देगा । आखिर व्यापार चिन्ह के क्षेत्र में हमारी शुरुआत भारतीय कंपनी के द्वारा व्यापार चिन्ह तोशीबा के दुर्विनियोजन से हुई थी । कानून लागू करने की प्रारंभिक प्रस्तावना की इस अवस्था में कुछ और अनुमान लगाना अव्यावहारिक होगा । आने वाले वर्षों में हमें कानून के कार्य व विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रभावों को वर्णात्मक स्वरूप देने की आवश्यकता होगी । किंतु यह निश्चित है कि विदेशी उद्योगों को स्थानीय उद्योगों के साथ द्विभाजित करने की संकल्पनात्मक प्रक्रिया अभी अपने प्रारंभिक दौर में है । हमें विदेशी एवं घरेलू उद्योगों के किसी विशेष क्षेत्र में कार्य एवं व्यापार चिन्हों के प्रबंधन में नए कानून के प्रभाव के परीक्षण की आवश्यकता होगी ।

- - - -